सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 14, सोमवार, *शाके 1946*-अगस्त 05, *2024* *Sravana 14, Monday, Saka 1946- August 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

भू – अर्जेन पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित पर्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11

प्रपत्र-7

नियम 16के उपनियम – (1)देखे

<u>प्रारम्भिक अधिसुचना</u>

गंगापुर सिटी, जुलाई 30, 2024

संख्या RAJKAJ 935565 :-चूकि राजस्थान सरकार / कलेक्टर को प्रतीत होता है, किहेभूमि,रेल्वे समपार फाटकक्रमांक एल.सी.नंबर 188 पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्यके लिए आवश्यक हैजिसके लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एस.आई.ए.) का कार्य उप मुख्य अभियंता /गति शक्ति यूनिट पष्चिम मध्य रेलवे द्वारा करवाया गया एस.आई.ए. अध्ययन की रिर्पाट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देषीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वाराअनुमोदित किया गया था।

एस.आई.ए रिर्पाट विवरण निम्न प्रकार से है:-

रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में किसी भी परिवार के विस्थापन की आशंका नही है | अत: यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिय अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खण्डो का विस्तार विवरण निम्नानुसार है :

जिला	तहसील	ग्राम /नगर	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हैं० में मानक माप
1	2	3	4	5
गंगापुर सिटी	वजीरपुर	पीलोदा	14	2.1169

1.अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्षिता के अधिकार की धारा 11(1)के प्रावधानों के तहत की गई है।

2. सरकार द्वारा अधिषाषी अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड गंगापुर सिटी व उसके स्टाफ / कर्मचारी को ईलाके में कीसी भी भूमि की सैंव, नाप, व लेवल के लिए प्रवेष करने भूमि के नीचे मिट्टी की जाचं के लिए बोरकरने व परियोजना के कियान्वय व उजित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

3.भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकारी अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसुचना के प्रकाषन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसुचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई संव्यवहार करायेगा अथवा ऐसी भूमि परकोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4.उपरोक्त भूमि में कोई भी हितवृद्व व्यक्ति इस अधिसुचना के प्रकाषन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति संबधित जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर के समक्ष प्रस्सुत कर सकेगा।

स्थान:- वजीरपुर

भू – अर्जेन पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित पर्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत कोटा-मथुरा सेक्शन में एल.सी.नंबर 188 पर ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी की अर्जित्त की जा रही भूमि का विवरण

क्र० स०	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या खसरा नं०	भूमि की प्रकार	भूमि का प्रकति	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल (हे०) में	प्रभावित व्येक्तियों का नाम वपता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
							उ०	द०	पू०	प०	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पीलोदा	2026	निजी	बारानी 1	0.0956	केशन्ता पत्नी शिवराम हिस्सा-पूर्ण जाति मीना सा.रंगलापुरा तह.टोडाभीम जिला करोली खातेदार,	2026/1879	2022	2027	2018				
2	पीलोदा	2018	निजी	बारानी 1	0.1100	रामेश्वर पुत्र परसादी हिस्सा-2/3 जाति.धोबी सा.देह खातेदार, विष्णु पुत्र परसादी हिस्सा-1/3	2026/1879	2019	2026	2017				

						जाति.धोबी सा.देह खातेदार, राहीन हिस्सा-1/3								
3	पीलोदा	2017	निजी	बारानी 1	0.0334	जगदीश पुत्र कालू हिस्सा-पूर्ण जाति.धोबी सा.देह खातेदार,	2016	2011	2018	2016				
4	पीलोदा	2016	निजी	बारानी 1	0.0572	जगदीश पुत्र कालू हिस्सा-पूर्ण जाति.धोबी सा.देह खातेदार	2015	2067	2017	1996				
5	पीलोदा	2015	निजी	बारानी 1	0.3148	दिनेशचंद शर्मा पुत्र स्व० श्री मांगीलाल शर्मा हिस्सा-पूर्ण जाति.ब्राह्मण सा.वार्ड न० 9 गंगापुर सिटी खातेदार,	गाँव सीमा	2010	2016	1986				
6	पीलोदा	2010	सरकारी	गै०मु०नाली	0.0610	राजस्थान सरकार हिस्सा-पूर्ण संस्था के लिए	2015	1997	2016	1986				
7	पी	2014	नि	बारा	0.1404	उर्मिला पत्नी जगन्नाथ	गाँव	2010	2015	2013				

	लोदा		जी	नी 1		हिस्सा-1/2 जाति.मीना सा.देह खातेदार, लीला पत्नी जगदीश हिस्सा-1/2 जाति.मीना सा.देह खातेदार,	सीमा							
8	पीलोदा	2013	सरकारी	गै०मु०रास्ता	0.0212	राजस्थान सरकार हिस्सा-पूर्ण संस्था के लिए	गाँव सीमा	2011	2014	2012				
9	पीलोदा	2012	निजी	बारानी 1	0.0148	नुरदीन पुत्र ईदया हिस्सा-1/2 जाति.फ़क़ीर सा.देह खातेदार, बाबु पुत्र ईदया हिस्सा-1/2 जाति.फ़क़ीर सा.देह खातेदार,	गाँव सीमा	2011	2013	1986				
10	पीलोदा	2011	निजी	बारानी 1	0.1462	नुरदीन पुत्र ईदया हिस्सा-1/2 जाति.फ़क़ीर सा.देह खातेदार, बाबु पुत्र ईदया हिस्सा-1/2 जाति.फ़क़ीर सा.देह खातेदार,	2012	2010	2014	1986				

11	पीलोदा	6178/6015	सरकारी	गे०मु०चारागाह	0.4926	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चारागाह व अन्य समान्य काम हेतु	गावसीमा	1983	1986	1870				
12	पीलोदा	1881	सरकारी	गे०मु०चारागाह	0.3208	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चारागाह व अन्य समान्य काम हेतु	1880	1886	6178/6015	1882				
13	पीलोदा	1882	निजी	बारानी 3	0.0052	काड़ीपत्निस्व. तेजराम हिस्सा- 1/6 जाति- मीनासा. देहखातेदार,नरेशकुमारपुत्र तेजरामहिस्सा- 1/6 जाति- मीनासा. देहखातेदार, रामनाथपुत्ररामकिशनहिस्सा- 1/4 जाति- मीनासा. देहखातेदार, रामहंसपुत्र रामकिशनहिस्सा- 1/4 जाति- मीनासा.	1881	1886	1881	1883				

						देहखातेदार, विजयसिंहपुत्र तेजरामहि स्सा- 1/6 जाति- मीनासा. देहखातेदार,							
14	पीलोदा	1886	सरकारी	गे०मु०चारागाह	0.3038	चारागाह हिस्सा-पूर्ण चारागाह व अन्य समान्य काम हेतु	1881	6178/6015	6178/6015	1870				
कुल योग		**14**			**2.1169**									

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।